भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 196
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय दूतावासों की भूमिका

† *196. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय उत्प्रवासियों का रिकार्ड रखती है, यदि हां, तो विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय उत्प्रवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में संबंधित दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की क्या भूमिका है;

(ग) वैसे कौन-कौन से देश हैं, यदि कोई हैं तो, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों के बसे होने के बावजूद भारत का कोई वाणिज्य दूतावास या दूतावास नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में भारतीय उत्प्रवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए सांस्कृतिक अताशे तैनात किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश मंत्री
[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'विदेशों में भारतीय दूतावासों की भूमिका' के संबंध में दिनांक 01.08.2025 को उत्तरार्थ श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 196 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पीआईओ/ओसीआई (भारतीय मूल का व्यक्ति/भारत का प्रवासी नागरिक) किसी अन्य देश का नागरिक होता है, जिसका या जिसके पूर्वज का मूल संबंध भारत से है। भारत सरकार ने उनके साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। ये प्रयास उन्हें उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने, उनकी भारत यात्राओं में सहायता प्रदान करने और उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्रदान करने पर केंद्रित हैं। नो इंडिया प्रोग्राम (केआईपी) जैसे कार्यक्रम युवा पीआईओ को भारत में 21 दिनों का गहन अनुभव प्रदान करते हैं ताकि वे देश के विकास और विरासत के बारे में जान सकें । विदेशों में स्थित भारतीय मिशन, 'प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन' (पीसीटीडी) के तहत प्रवासी भारतीयों के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करके सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। पीआईओ और ओसीआई को, विशेषकर संकट के दौरान, कोंसली सहायता भी प्रदान की जाती है। कल्याणकारी सेवाओं के अलावा, भारत सरकार ओसीआई योजना के तहत कई लाभ प्रदान करती है। ओसीआई को कृषि भूमि स्वामित्व जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा, पुलिस पंजीकरण से छूट, और आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें भी रोज़गार के अवसरों में लाभ मिलता है। उन्हें राष्ट्रीय उद्यानों, स्मारकों और हवाई किरायों पर घरेलू मूल्य निर्धारण का भी लाभ मिलता है। बौद्धिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्यरत अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई विद्वानों के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। ये सभी पहलें भारत और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के बीच एक गहरे और स्थायी संबंध को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या 3,43,56,193 है, जिनमें से 1,71,81,071 भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और 1,71,75,122 अनिवासी भारतीय हैं। देश-वार विवरण अनुबंध-क में दिया गया है।

(ख) सरकार विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं। सरकार ने ऐसे तंत्र स्थापित किए हैं ताकि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर भारतीय मिशनों से संपर्क कर सकें। भारतीय नागरिक वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों जैसे विभिन्न माध्यमों और मदद, सीपीग्राम्स, ई-माइग्रेट आदि शिकायत निवारण पोर्टलों के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर स्थापित किए हैं और मोबाइल ऐप भी आरंभ किए हैं ताकि संकट या आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिक संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकें।

भारतीय प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को सुनिश्चित करने के लिए, ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की जाती है। यह वेब-आधारित एप्लिकेशन प्रवासन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, वैध, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तीव्र बनाता है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/समस्या के समाधान हेतु सहायता पहुँचाने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) और कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) स्थापित किए गए हैं।

विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र भी संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं:

(I) पार्थिव शरीर को भारत लाना या परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार करना;

(ii) आपातकालीन चिकित्सा देखभाल;

(iii) कानूनी सहायता;

(iv) भोजन और आवास; और

(v) फंसे हुए भारतीयों के लिए हवाई यात्रा।

इसके अलावा, खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था है, जहाँ उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और स्वदेश वापसी की व्यवस्था की जाती है। जो महिलाएँ फँसी हुई हैं और संकट में हैं, वे दिन के किसी भी समय दूतावासों से संपर्क कर सकती हैं और उन्हें भारत वापस भेजे जाने तक आवास और सभी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी कई पहल की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें अच्छे कार्य और रहने की स्थिति मिले, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच हो सके।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आधार पर, संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों में श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों को राजनयिक माध्यमों से संबंधित मेजबान सरकारों के साथ भी नियमित रूप से उठाया जाता है। इसके अलावा, सात देशों के साथ प्रवासन और आवाजाही साझेदारी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, और इसके साथ-साथ उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करना, अनियमित प्रवासन को रोकना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

(ग) वर्तमान में भारत के विदेशों में 219 मिशन और केंद्र हैं। इनमें वे सभी देश शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं।

(घ) भारतीय संस्कृति का संवर्धन और मेजबान देश के साथ सांस्कृतिक संपर्क का विकास, विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों के कार्यकलापों का एक अभिन्न अंग है। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों के प्रमुख अपने मेजबान देशों में भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के 38 सांस्कृतिक केंद्र हैं (सूची अनुबंध 'ख' में संलग्न है)। ये केंद्र प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ते हैं, उनमें सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और विदेशों में रहने वालों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं। अन्य मिशनों और केन्द्रों में,

जहाँ आईसीसीआर के तत्वावधान में कोई सांस्कृतिक केंद्र नहीं हैं, मिशनों और केन्द्रों के अधिकारियों को विदेशों में भारतीय संस्कृति के संवर्धन की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है और वे प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखते हैं।

अनुबंध-क

विदेशों में भारतीय प्रवासियों से संबंधित डाटा

(जनवरी 2025 तक)

क्र.सं.	देश/क्षेत्र	भारतीय मूल के व्यक्ति	एनआरआई	कुल प्रवासी भारतीय
1	अफ़ग़ानिस्तान	158	0	158
2	अल्बानिया	7	450	457
3	एलजीरिया	27	4024	4051
4	एंडोरा	200	50	250
5	अंगोला	59	71	130
6	एंटिंगुआ और बारबुडा	200	300	500
7	अर्जेंटीना	1800	800	2600
8	आर्मीनिया	19	5430	5449
9	अरूबा	400	600	1000
10	ऑस्ट्रेलिया	626000	350000	976000
11	ऑस्ट्रिया	18500	14400	32900
12	अज़रबैजान	83	672	755
13	बहामा	20	280	300
14	बहरीन	4506	342350	346856
15	बांग्लादेश	10	7000	7010
16	बारबाडोस	2500	600	3100
17	बेलारूस	150	1266	1416
18	बेल्जियम	13204	23343	36547
19	बेलीज़	1300	200	1500
20	बेनिन	4	996	1000
21	भूटान	0	60000	60,000
22	बोलीविया	15	47	62
23	बोनेयर और छोटे द्वीप	12	54	66
24	बोस्निया और हर्जेगोविना	7	20	27
25	बोत्सवाना	3000	9500	12500
26	ब्राज़ील	863	2460	3323
27	ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स	20	80	100
28	ब्रूनेई दारएस्सलाम	240	14500	14740
29	बुल्गारिया	1077	949	2026

30	बुर्किना फासो	350	150	500
31	बुरुंडी	35	700	735
32	कंबोडिया	100	4400	4500
33	कैमरून	0	1500	1500
34	कनाडा	1859680	1751610	3611290
35	केप वर्ड	1	39	40
36	केमन द्वीपसमूह	100	900	1000
37	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	0	70	70
38	चाड	0	250	250
39	चिली	2100	2000	4100
40	चीन	59787	43683	103470
41	कोलंबिया	252	758	1010
42	कॉमन वेल्थ ऑफ डोमिनिका	500	40	540
43	कोमोरोस	200	20	220
44	कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)	5000	30000	35000
45	कांगो गणराज्य	0	875	875
46	कुक आइलैंड्स	5	0	5
47	कोस्टा रिका	39	1011	1050
48	कोटे डी आइवरी	44	6532	6576
49	क्रोएशिया	82	17139	17221
50	क्यूबा	0	0	0
51	कुराकाओ	800	700	1500
52	साइप्रस	398	11119	11517
53	चेक रिपब्लिक	600	10124	10724
54	डेनमार्क	3499	18958	22457
55	ज़िबूटी	8	1000	1008
56	डोमिनिका गणराज्य	2	75	77
57	इक्वेडोर	82	269	351
58	मिस्र	366	5134	5500
59	अल साल्वाडोर	1	20	21
60	इक्वेटोरियल गिनी	0	400	400
61	इरिट्रिया	0	140	140
62	एस्तोनिया	40	1928	1968
63	एस्वातिनी	0	3184	3184
64	इथियोपिया	105	5900	6,005
65	फिजी	313818	2290	316108
66	फिनलैंड	15989	13068	29057

67	फ्रांस	90000	29000	119000
68	फ़्रांस (रीयूनियन द्वीप)	300000	159	300159
69	फ़्रांस (गुआदेलूप)	57000	180	57180
70	फ़्रांस (मार्टिनिक)	8000	90	8090
71	फ्रांस (सेंट मार्टिन)	1800	150	1950
72	गैबॉन	10	800	810
73	गाम्बिया	20	2100	2120
74	जॉर्जिया	5	250	255
75	जर्मनी	176500	273890	450390
76	घाना	321	15000	15321
77	ग्रीस	158	11333	11491
78	ग्रेनेडा	4511	189	4700
79	ग्वाटेमाला	16	126	142
80	गिनी (गणराज्य)	51	1390	1441
81	गिनी-बिसाऊ	0	300	300
82	गुयाना	320000	2700	322700
83	हैती	0	36	36
84	होली सी	30	15	45
85	होंडुरस	277	8457	8734
86	हंगरी	2200	6800	9000
87	आइसलैंड	237	509	746
88	इंडोनेशिया	120000	14817	134817
89	ईरान	445	10320	10765
90	इराक	0	17100	17100
91	आयरलैंड	37,812	45,000	82,812
92	इज़राइल	85,000	38,000	123,000
93	इटली	डेटा उपलब्ध नहीं	170880	170880
94	जमैका	70000	5000	75000
95	जापान	1597	51345	52942
96	जॉर्डन	153	16897	17050
97	कजाखस्तान	423	1095	1518
98	केन्या	60,000	20,000	80,000
99	किरबाती	50	2	52
100	कोरिया (डीपीआर)	1	15	16
101	कोरिया (आरओके)	444	16816	17260
102	कुवैत	2,356	10,07,961	10,10,317
103	किर्गिस्तान	61	200	261
104	लाओस	119	600	719

105	लातविया	डेटा उपलब्ध नहीं	4766	4766
106	लेबनान	41	2000	2041
107	लेसोथो (अधिराज्य)	1500	1500	3000
108	लाइबेरिया	2	3000	3002
109	लीबिया	0	3000	3000
110	लिकटेंस्टाइन	0	35	35
111	लिथुआनिया	डेटा उपलब्ध नहीं	7227	7227
112	लक्समबर्ग	813	4508	5321
113	मेडागास्कर	15000	2500	17500
114	मलावी	6000	9000	15000
115	मलेशिया	2750000	185000	2935000
116	मालदीव	140	30000	30140
117	माली	13	600	613
118	माल्टा	250	18000	18250
119	मार्शल द्वीप	2	7	9
120	मॉरिटानिया	0	150	150
121	मॉरीशस	871140	26357	897497
122	माइक्रोनेशिया	0	35	35
123	मेक्सिको	1500	6500	8000
124	मोलदोवा	9	950	959
125	मोनाको	43	10	53
126	मंगोलिया	11	92	103
127	मोंटेसेराट	200	15	215
128	मोरक्को	116	438	554
129	मोज़ाम्बिक	22000	3000	25000
130	म्यांमार	23	354	377
131	नामीबिया	50	450	500
132	नाउरू	0	20	20
133	नेपाल	0	700000	700000
134	नीदरलैंड	178000	55613	233613
135	न्यूज़ीलैंड	143000	157000	300000
136	निकारागुआ	1	39	40
137	नाइजर	240	10	250
138	नाइजीरिया	8	150	158
139	उत्तर मैसेडोनिया	52	43	95
140	नॉर्वे	12436	11593	24029
141	ओमान	1754	660299	662053

142	पाकिस्तान	0	0	0
143	पलाउ	0	29	29
144	फिलिस्तीन	0	7	7
145	पनामा	11000	4000	15000
146	पापुआ न्यू गिनी	74	4000	4074
147	पराग्वे	200	400	600
148	पेरू	154	346	500
149	फिलिपींस	2570	67430	70000
150	पोलैंड	1300	30000	31300
151	पुर्तगाल	13682	90000	103682
152	कतर	डेटा उपलब्ध नहीं	8,30,491	8,30,491
153	रोमानिया	362	10797	11159
154	रूस	2742	70000	72742
155	रवांडा	5	3000	3005
156	सेंट किट्स और नेविस	100	500	600
157	सेंट लूसिया	18600	550	19150
158	सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	6600	50	6650
159	समोआ	50	0	50
160	सैन मारिनो	0	0	0
161	साओ टोम	0	32	32
162	सऊदी अरब	0	2747551	2747551
163	सेनेगल	5	35	40
164	सर्बिया	20	10000	10020
165	सेशल्स	5093	8245	13338
166	सियरा लिओन	30	4500	4530
167	सिंगापुर	107180	350000	457180
168	सिंट मार्टेन	3000	2170	5170
169	स्लोवाक गणराज्य	60	5940	6000
170	स्लोवेनिया	86	822	908
171	सोलोमन द्वीप	0	20	20
172	सोमोलिया	0	100	100
173	दक्षिण अफ्रीका	1318431	74057	1392488
174	दक्षिण सूडान	0	980	980
175	स्पेन	16635	51606	68241
176	श्रीलंका	1600000	7500	1607500
177	सूडान	55	85	140
178	सूरीनाम	187700	1350	189050
179	स्वीडन	93180	22680	115860

180	स्विट्ज़रलैंड	9400	19,200	28,600
181	सीरिया	0	39	39
182	ताइवान	408	4641	5049
183	तजाकिस्तान	0	400	400
184	तंजानिया	40,000	15,000	55,000
185	थाईलैंड	135179	30236	165415
186	तिमोर लेस्ते	300	डेटा उपलब्ध नहीं	300
187	टोगो	10	1300	1310
188	टोंगा	50	5	55
189	ट्रिनिडाड और टोबैगो	548286	1259	549545
190	ट्यूनीशिया	9	80	89
191	तुर्किये	386	3635	4021
192	तुर्कमेनिस्तान	4	105	109
193	तुर्क और कैकोस द्वीप समूह	50	200	250
194	तुवालू	20	0	20
195	युगांडा	9000	30000	39000
196	यूक्रेन	739	1952	2691
197	संयुक्त अरब अमीरात	6614	38,90,953	3897567
198	यूके	970969	369000	1339969
199	यूएसए	3775194	1918415	5693609
200	उरुग्वे	50	950	1000
201	उज़्बेकिस्तान	61	16080	16141
202	वानुअतु	15	0	15
203	वेनेजुएला	21	38	59
204	वियतनाम	817	7200	8017
205	यमन	420	700	1120
206	जाम्बिया	5000	25000	30000
207	ज़िम्बाब्वे	9000	1000	10000
कुल		**17181071**	**17175122**	**34356193**

अनुबंध- ख

विदेशों में आईसीसीआर के सांस्कृतिक केंद्रों की सूची

क्रम सं.	देश	शहर
1.	अफ़ग़ानिस्तान	काबुल
2.	ऑस्ट्रेलिया	सिडनी
3.	बांग्लादेश	ढाका
4.	भूटान	थिम्पू
5.	ब्राज़ील	साओ पाउलो
6.	चीन	बीजिंग
7.	चेक गणराज्य	प्राहा
8.	मिस्र	काहिरा
9.	फिजी	सुवा
10.	जर्मनी	बर्लिन
11.	गुयाना	जॉर्ज टाउन
12.	हंगरी	बुडापेस्ट
13.	इंडोनेशिया	बाली*
14.	इंडोनेशिया	जकार्ता*
15.	ईरान	तेहरान
16.	इज़राइल	टेल अवीव
17.	जापान	टोक्यो
18.	कजाखस्तान	अस्ताना
19.	मलेशिया	क्वालालंपुर
20.	मालदीव	पुरुष
21.	मॉरीशस	पोर्ट लुइस
22.	मेक्सिको	मेक्सिको सिटी
23.	म्यांमार	यांगून
24.	नेपाल	काठमांडू
25.	नीदरलैंड	हेग
26.	कोरिया गणराज्य	सोल
27.	रूस	मास्को

28.	दक्षिण अफ्रीका	डरबन*
29.	दक्षिण अफ्रीका	जोहान्सबर्ग*
30.	श्रीलंका	कोलंबो
31.	सूरीनाम	पारामरिबो
32.	तजाकिस्तान	दुशांबे
33.	तंजानिया	दार-एस-सलाम
34.	थाईलैंड	बैंकाक
35.	त्रिनिदाद और टोबैगो	पोर्ट ऑफ स्पेन
36.	यूनाइटेड किंगडम	लंदन
37.	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
38.	वियतनाम	हनोई

*इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में दो-दो सांस्कृतिक केंद्र हैं।

*****